तारीख पेशी	बनाम हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री ..... श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

रामी बनाम मूलचन्द वगैरह

20.9.18 पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। दिनांक 11.09.2018 को अपील में अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 832, 2063, 2075, 2082, 2108 ग्राम लाम्बा तहसील अंराई बाबत् उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के समक्ष पेश किया। वाद पत्र के साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम भी पेश किया। उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ ने दिनांक 22.08.2016 को अन्तरिम स्थगन आदेश पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 03, 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के अपीलांटस व रेस्पोडेन्टस की संयुक्त खातेदारी की हैं इसी अनुसार काबिज काश्त हैं। अधीनस्थ न्यायालय में एक पक्षीय आदेश पारित किया है एवं एक पक्ष को ही पाबंद किया है जबकिद दोनो पक्षों का पाबंद किया जाना चाहिए था जिससे विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रह सकें। अपीलांटस विवादित के संयुक्त खातेदार हैं एवं न्याय का यह सिद्धान्त हैं कि संयुक्त खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश एवं अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस के विरूद्ध आक्षेपित आदेश पारित कर कानूनी त्रुटि कारित की हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 22.08.2016 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 03, 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के द्वारा प्रस्तुत अन्तरित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, जो पोषणीय नही हैं इसलिए खारिज फरमायी जावें।

अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद मनन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,किशनगढ़ के द्वारा दिनांक 22.08.2016 को अन्तरिम स्थगन पारित किये हैं। उक्त आदेश में अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी का बेंचान, हस्तातंरण नहीं करने एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी हेतु अप्रार्थीगण को आगामी पेशी तक अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को

मिसल नं. 6
333/16/225 रामी बनाम मूलचन्द

तारीख पेशी	बनाम हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर A1.2.5.6 श्री गोविन्द लाल अभि.श्री 4A34	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे [redacted]
लगातार	नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 02.09.2016 को पेश हों। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् अपना पक्ष न रख कर उक्त आदेश के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील न्यायालय में श्रवणायोग्य नही हैं। मान्नीय राजस्व मण्डल राज.की लार्जर बेंच द्वारा पारित आदेश 12.03.2014 में कथन किया कि "Revenue Appellate Authority has jurisdiction under Section 225 of the Act to entertain an appeal against an ex-parte or ad-iterim ex-parte order passed by a Trial Court under Section 212 of the Act, but the Revenue Appellate Authority has no jurisidiction to entertain appeals against such ad-interim ex-parte order which are effective only till next date of hearing."। मान्नीय मण्डल की उक्त नजीर द्वारा अपील चलने योग्य नही पायी जाती हैं। अतः **अपील अपीलांट श्रवणायोग्य नहीं होने से खारिज की जाती हैं। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर 20/9/16	